छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
गुरुवार, दिनांक 8 सितम्बर, 2011
(भाद्रपद-17, शक संवत् 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य द्वारा पूरे प्रदेश में बाढ़ के कारण उत्पन्न हो रही स्थिति की ओर आसंदी का ध्यान आकृष्ट कराया गया।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने कहा कि आसंदी की अनुमति मिलने के पश्चात् बाढ़ की स्थिति पर वक्तव्य एवं किये जा रहे राहत कार्य पर स्थिति स्पष्ट की जावेगी।

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 05 (कुल 05) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 35 तारांकित एवं 52 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 04 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 4 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010 पटल पर रखा।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से नियम 138 (3) को शिथिल कर आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की।

(1) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने जिला कबीरधाम अन्तर्गत अमनिया से दमगढ़ मार्ग में पुल निर्माण में अनियमितता किए जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भईयालाल राजवाड़े, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री अजीत जोगी, सदस्य ने जांजगीर जल संसाधन संभाग अंतर्गत बसंतपुर बैराज निर्माण हेतु बिना कार्य किए अग्रिम भुगतान किए जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने संस्कृत क्लासिक के छात्र-छात्राओं को शिक्षाकर्मी वर्ग-1 एवं वर्ग-2 हेतु अपात्र घोषित किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भईयालाल राजवाड़े, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

(4) श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य ने जिला रायपुर की जिला लोक शिक्षा समिति, रायपुर में पदस्थ जिला परियोजना अधिकारी द्वारा समन्वयकों की सेवा समाप्त किए जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267 क (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं -

(1) श्री महंत रामसुंदर दास

(2) श्री संतोष बाफना

(3) श्री रुद्र कुमार गुरु

(4) श्री मोहम्मद अकबर

(5) श्री सौरभ सिंह

(6) श्री भोला राम साहू

(7) श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर

(8) श्री अमरजीत भगत

(9) श्री ह्दयराम राठिया

(10) श्री भजन सिंह निरंकारी

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री सेवकराम नेताम, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर, 2011 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्प पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	*सदस्य का नाम*	*समय*
1. (क्रमांक - 06)	श्री नंदकुमार पटेल	2 घंटे 30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकायें पढ़ी हुई मानी गईं -

(1) श्री जगेश्वर राम भगत

(2) श्री दूजराम बौद्ध

(3) श्री बैदूराम कश्यप

(4) श्री देवजी पटेल

(5) श्री विरेन्द्र कुमार साहू

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 15, सन् 2011)

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 15, सन् 2011) पुरःस्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 19, सन् 2011)

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने कामधेनु विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 को वर्तमान सत्र की अल्प शेष अवधि के परिप्रेक्ष्य में तथा विधेयक की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश क्रमांक 23 (2) एवं 24 तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 65 के उप नियम (1) को शिथिल कर आज ही पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 19, सन् 2011) पुरःस्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी विधेयक, 2011 (क्रमांक 20, सन् 2011)

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी विधेयक, 2011 (क्रमांक 20, सन् 2011) पुरःस्थापित किया।

9. वक्तव्य

प्रदेश में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति निर्मित होना

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति निर्मित होने के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी इस संबंध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया -

सर्वश्री नंदकुमार पटेल, लखमा कवासी, परेश बागबाहरा, गुरु रुद्र कुमार, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री महंत रामसुंदर दास, भोलाराम साहू, भजन सिंह निरंकारी, ह्दय राम राठिया, धर्मजीत सिंह, अग्नि चंद्राकर, शिवराज सिंह उसारे, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सर्वश्री सौरभ सिंह, (डॉ) कृष्णमूर्ति बांधी, विरेन्द्र कुमार साहू, राजू सिंह ठाकुर, खेदूराम साहू एवं देवजी पटेल।

10. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - प्रदेश में अत्यंत वर्षा से उत्पन्न स्थिति पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए माननीय सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्र की स्थिति की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने हेतु समय दिया।

सभा की यह परंपरा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री/मंत्रियों के वक्तव्य के बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन माननीय सदस्यों को अनुमति आज की परिस्थिति में दी गई है। भविष्य में यह उदाहरण एवं परंपरा न बने।

11. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज भोजनावकाश में रायपुर सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड द्वारा देवभोग लांचिग कार्यक्रम विधानसभा परिसर के आडिटोरियम में आयोजित है। समस्त माननीय सदस्यों को आमंत्रण पत्र वितरित किए गए हैं। सभी माननीय सदस्य कार्यक्रम में आमंत्रित हैं।

(1.30 से 3.04 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

12. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(4) छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल विधेयक, 2011 (क्रमांक 16, सन् 2011)

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल विधेयक, 2011 (क्रमांक 16, सन् 2011) पर विचार किया जाय ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-
श्री मोहम्मद अकबर, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी,

चर्चा के दौरान श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य द्वारा अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की अनुपस्थिति की ओर आसंदी का ध्यान आकृष्ट कराया गया। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से चर्चा जारी रखने का आग्रह किया।

13. बहिर्गमन

अधिकारी दीर्घा में वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति का उल्लेख करते हुए श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रतिपक्ष के सदस्य सभा की कार्यवाही में भाग लें सकें इस हेतु सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई।

(सदन की कार्यवाही 3.38 बजे स्थगित की जाकर 4.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

14. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(4) छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल विधेयक, 2011 (क्रमांक 16, सन् 2011)

श्री धर्मजीत सिंह, डॉ.सुभाऊ कश्यप,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अजीत जोगी, फूलचंद सिंह, अग्नि चंद्राकर, राजू सिंह ठाकुर, अमरजीत भगत, नंदकुमार साहू, सौरभ सिंह, बर्नाड जोसेफ रोड्रिक्स, विरेन्द्र कुमार साहू, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक (6) का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 17 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल विधेयक, 2011 (क्रमांक 16, सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(5) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 17, सन् 2011)

डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 17, सन् 2011) पर विचार किया जाय ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री परेश बागबाहरा, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ.हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री विरेन्द्र कुमार साहू, टी.एस.सिंहदेव।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 17, सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ।

सायं 6.43 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनाँक 09 सितम्बर, 2011 (भाद्रपद 18, शक संवत् 1933) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा